

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छत्तीसगढ़)

सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

क्रमांक 1559/दो-11-12/2015

रायपुर, दिनांक

23/6/2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि – 24.06.2023 प्रात 11:00 बजे से
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि – 31.07.2023 तक के संध्या 5.00 बजे तक

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के सामान्य स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर हिन्दी, सहायक ग्रेड-तीन, के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु भारत के नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

रिक्त पदों का विवरण

क	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद											अनारक्षित पद				
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग			मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	द्विव्यांग	
			मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	द्विव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	द्विव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक					द्विव्यांग
1	स्टेनोग्राफर हिन्दी	13	01	-	-	01	-	-	-	-	01	-	-	-	05	02	02	01
2	सहायक ग्रेड-3	53	02	01	01	01	01	01	04	-	03	01	01	01	20	10	04	02
	योग	66	03	01	01	02	01	01	04		04	01	01	01	25	12	06	03

- महत्वपूर्ण टीप :-
- उपरोक्त पदों के संबंध में विज्ञापन/भर्ती/नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
 - पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
 - महिलाओं को नियमानुसार होरिजॉन्टल आरक्षण दिया जावेगा। किसी कारणवश महिला अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है, तो ऐसे पद अग्रणीत नहीं किये जावेगें, अपितु उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरे जा सकेंगे।
 - मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी, ऐसे आवेदक, जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के रूप में विचारित किये जाएगें, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं।

SARKARI RESULT 2023

सभी सरकारी नौकरी, सरकारी रिजल्ट - वेकेंसी का सबसे भरोसेमंद वेबसाइट हमेशा गूगल में सर्च करे **[sarkariresultmy.com]**

sarkariresultmy.com

जाँब नोटिफिकेशन पाए अपने मोबाइल में



[Whatsapp Group Join Kare](#) [Click kare](#)



[Telegram Channel Join Kare](#) [Click kare](#)



SARKARI RESULT MY

.COM

5. महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हो।
6. ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है, उन्हें आरक्षित दिव्यांग पद के विरुद्ध विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें उनके संबंधित वर्ग में माना जाएगा।

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद के लिए—

अ— छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल—07 (रूपये 28700—91300)
ब— शैक्षणिक योग्यता:—

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।
4. हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key)डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)

(2) सहायक ग्रेड—3 के समकक्ष (निष्पादन लिपिक, सहायक प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखापाल, आदेशिका लेखक, साक्ष्य लेखक, सेल अमीन) पद के लिए—

अ— छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल—04 (रूपये 19500—62000)
ब— शैक्षणिक योग्यता:—

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
2. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।
3. हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key)डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)

टीप:— 1. भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद उस संवर्ग से उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड, रायपुर से अनुमति प्राप्त होने की दशा में उसी संवर्ग के पुरुष/महिला उम्मीदवार का चयन किया जावेगा।

—: आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :-

(1) आयु सीमा —

प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु 01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ.ग. के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू

रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

छ.ग. राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

आयु संबंधी प्रमाण के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) अन्य शर्तें –

- (1) रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।
- (2) चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के वित्त निर्देश क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29/07/2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित **उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी** एवं उक्त परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70%, 80%, 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा, किन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होंगे।
- (3) चयनित उम्मीदवारों को रायपुर जिले के बाह्य न्यायालयों में नियुक्ति की जा सकेगी।
- (4) चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उनकी सेवा समाप्त किया जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।
- (5) उपरोक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया/चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (6) आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र, जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
- (7) जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (8) कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (9) कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- (10) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (11) अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति उपरांत नियत तिथि तक ज्वार्इन न करने अथवा ज्वार्इन के पश्चात एक वर्ष के भीतर पद त्याग करने अथवा बिना सूचना के 01 माह तक अनुपस्थित रहने की दशा में प्रतीक्षा सूची में से अभ्यर्थी नियुक्ति किये जा सकेंगे।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- (1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक **31.07.2023** की संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से **आवेदित पद स्टेनोग्राफर-हिन्दी/सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो**, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0) के कार्यालय में रखे बॉक्स पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत

डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक 31.07.2023 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास विकलांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।

- (2) विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के शासकीय वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/raipur> में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।
- (3) ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे एक ही तिथि में पृथक-पृथक आवेदन प्रेषित करें। एक आवेदन पत्र में एक से अधिक पद का नाम लिखे जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन रखे जाने पर भी आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
- (4) आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिये तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- (5) ई-मेल, फैक्स के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- (6) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।
- (7) आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा किसी भी प्रकार की अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया

आवेदित पदों के लिये प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या अधिक होने पर पात्र अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता – हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्रतिशत के 25–25 प्रतिशत तथा स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के 50 प्रतिशत तथा बोनस अंक के आधार पर मेरिट सूची (प्रावीण्यता) तैयार की जावेगी। स्नातकोत्तर तथा विधि स्नातक डिग्रीधारी को 01–01 बोनस अंक प्रदान किये जावेंगे। एक से अधिक स्नातकोत्तर डिग्री होने पर सिर्फ एक स्नातकोत्तर का बोनस अंक 01 अंक ही प्रदान किया जावेगा। वर्गवार मेरिट सूची (प्रावीण्यता) के आधार पर 01 (एक) पद के विरुद्ध 05 कम-से-कम (पांच) के अनुपात में या चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार अधिक अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा (skill test) हेतु बुलाया जायेगा। आवश्यकता होने पर स्कीनिंग टेस्ट कराने का अधिकार भी सुरक्षित रखा जाता है। कौशल परीक्षा हेतु बुलावा/सूचना पत्र कार्यालय वेबसाइट में अपलोड किये जावेंगे।

कौशल परीक्षा

कौशल परीक्षा के पूर्व या पश्चात दस्तावेज परीक्षण/जांच किया जावेगा। कौशल परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना कार्यालय वेबसाइट <https://districts.ecourts.gov.in/raipur> पर अपलोड किया जावेगा। कौशल परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

1. स्टेनोग्राफर हिन्दी

(अ) कौशल परीक्षा—

उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 5 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। डिक्टेेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/5 अंक काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। कौशल परीक्षा उबन्टु लाईनक्स (Ubuntu Linux) अथवा विन्डो में ली जावेगी, इस हेतु अभ्यर्थी को विकल्प फार्म में उल्लेख करना होगा। इस विकल्प प्रस्तुत करने के उपरांत बाद में इस संबंध में और कोई विचार नहीं किया जावेगा

2. सहायक ग्रेड तीन -

(अ) कौशल परीक्षा—

उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द की हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/5 अंक काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। कौशल परीक्षा उबन्टु लाईनक्स (Ubuntu Linux) अथवा विन्डो में ली जावेगी, इस हेतु अभ्यर्थी को विकल्प फार्म में उल्लेख करना होगा। इस विकल्प प्रस्तुत करने के उपरांत बाद में इस संबंध में और कोई विचार नहीं किया जावेगा

चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची

1. कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।
2. कौशल परीक्षा में समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को चयनित किया जावेगा। जन्मतिथि समान होने पर जिस अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पहले प्राप्त हुआ है, उसे चयन किया जावेगा।
3. प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर, त्याग-पत्र देने से या किसी प्रकार से पद रिक्त होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से पदों की पूर्ति की जा सकेगी।
4. तत्पश्चात् चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय में चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा, तथा आरक्षित वर्ग में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा। आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ0ग0 रायपुर से कराया जावेगा। प्रमाण पत्रों की जाँच में विपरीत टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

—: महत्वपूर्ण निर्देश :—

1. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1-7, दिनांक 23.08.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
4. चयनित उम्मीदवारों को जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हों, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. चयन प्रक्रिया के संबंध में चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
6. उपरोक्त भर्ती/नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
7. यह विज्ञापन बिना किसी कारण बताए, किसी भी समय निरस्त या स्थगित की जा सकेगी।
8. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
9. आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/raipur> से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी को नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा कर एवं स्वहस्ताक्षरित कर, प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वाहन चालन लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित हों, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।
10. कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
11. प्राप्त आवेदन पत्रों में स्नातक के अंक के आधार पर (मेरिट) 01 पद के विरुद्ध 05 अथवा समिति द्वारा नियत अनुपात में वर्गवार मेरिट सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/raipur> पर अपलोड किया जावेगा तथा सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 07 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे।
12. कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के छः माह के पश्चात विनिष्टिकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

महत्वपूर्ण टीप:-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के उपरांत स्नातक के प्रमाण पत्र का अवलोकन के उपरांत कौशल परीक्षा हेतु पात्र पाये गये अभ्यर्थियों के अन्य दस्तावेजों (जाति, निवास, रोजगार पंजीयन, शैक्षणिक दस्तावेजों) का परीक्षण किया जावेगा।

रायपुर –
दिनांक-

अध्यक्ष,
भर्ती एवं नियुक्ति समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय,
रायपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप
(स्टेनोग्राफर-हिन्दी एवं सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति हेतु)

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम् पासपोर्ट साईज
रंगीन फोटो, नाम एवं
दिनांक सहित

1. आवेदित पद का नाम :

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :

(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :

3. लिंग- पुरुष संकेतक-1, महिला संकेतक-2

4. पिता/पति का नाम :

5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :

(हिन्दी में)

(ब) स्थाई पता :

5. (अ) जन्म तिथि (अंकों में)

(शब्दों में) :

(ब) दिनांक 01/01/2023 को आयु :- वर्ष माह दिन

7. आवेदक का मोबाईल नंबर :

8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हॉ/नहीं

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हॉ/नहीं

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।

11. क्या आवेदक विकलांग है ? हाँ/नहीं

(यदि हां, तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

12. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत

.....

13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक हैं ? हाँ/नहीं

(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

14. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक

दिनांक

15. रोजगार कार्यालय का नाम

.....

16. क्या आप विवाहित हैं? हाँ/नहीं

17. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि

18. जीवित बच्चों की संख्या

क्र०	नाम	लिंग	जन्म तिथि
1.	2.	3.	4.

19. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र०	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	हाईस्कूल					
2	हायर सेकेण्डरी					
3	स्नातक					
4	डी.सी.ए या समकक्ष					
5	हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा					

20. स्नातकोत्तर/विधि स्नातक के लिए बोनस अंक
की पात्रता रखते हैं तो उल्लेख करें। (प्रमाणपत्र
संलग्न करें)

21. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हॉ/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की
सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

22. कौशल परीक्षा में लिपि का विकल्प देवे :-
1. उबन्टू (Ubuntu) 2. विन्डो (Windo)

23. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-
टीप - प्रमाण पत्र नीचे दिये अनुक्रम में संलग्न करें।
प्रमाण पत्र का नाम संलग्न है/संलग्न नहीं।

1. हाई स्कूल/जन्म प्रमाण पत्र
2. स्नातक प्रमाण पत्र
3. स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र
4. हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र
5. कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
6. छ.ग. राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र
7. छ.ग. राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र
8. विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र
9. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र
10. भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र
11. पहचान पत्र दस्तावेज
12. अन्य

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि उनमें कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति स्वमेव निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर-

नाम एवं पूरा पता-

मोबाईल नं.-

ई-मेल-

(मोबाईल नंबर एवं ई-मेल अनिवार्य रूप से भरे)